

FORM NO.111

फर्द अहकाम




(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

शांता प्रबन्ध समिति राउप्रावि गोठावाली बनाम आंची देवी वगै०

किस्म मुकदमा - इजराय


मुकदमा नम्बर - 25/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	तारीख व तारीख प्रकाशित की इस हुक्म की तारीख में जारी हुई
30.05.2022	<p>वकील डिक्रीदार श्री कमल कुमार शर्मा एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 30.06.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर </p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरिकेन उपखण्ड/पीठा. अधिकारी दारे/अन्य कार्यालय में नोटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10-10-22 पेश हो। </div>	<p style="text-align: right;">30/05/22 30-05-22</p>
08.05.2024	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 1539 दिनांक 20.06.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैंसल की जाती है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) </p>	<p>ऑनलाइन फिलान क्रिया आगा। आदेश की पालना।</p> <p>ना.सं. 1539 दि. 20.6.22 द्वारा की गयी।</p> 

4-8-22

08.05.2024

ऑनलाइन फिलान क्रिया आगा। आदेश की पालना।
ना.सं. 1539
दि. 20.6.22
द्वारा की गयी।



(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)